[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप- खंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मत्रांलय

राजस्व विभाग

(केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड)

अधिसूचना संख्या 81 /2022-सीमाशुल्क (गै.टे.)

नई दिल्ली, 23 सितंबर, 2022

सा.का.नि...... (अ) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 84 के साथ पठित धारा 157 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतदद्वारा, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड कूरियर आयात और निर्यात (इलेक्ट्रॉनिक घोषणा और प्रसंस्करण) विनियम, 2010 में आगे भी संशोधन करके निम्नलिखित विनियम बनाती है, यथा : -

1 . संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ - (1) इन विनियमों को कूरियर आयात और निर्यात (इलेक्ट्रॉनिक घोषणा और प्रसंस्करण) द्वितीय संशोधन विनियम, 2022 कहा जाएगा।

(2) वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. कूरियर आयात और निर्यात (इलेक्ट्रॉनिक घोषणा और प्रसंस्करण) विनियम, 2010 में, -

(i) प्रपत्र घ में, क्रम संख्या 18क के लिए, ई-कॉमर्स आयात के विवरण और तत्संबंधी प्रविष्टियों को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा : -

" ई-कॉमर्स आयात (18क)
क्या ई-कॉमर्स का उपयोग करके आयात किया गया है (हां/नहीं)”;

(ii) प्रपत्र ङ में, कॉलम 6क के लिए, और तत्संबंधी प्रविष्टियों को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा : -

"ई-कॉमर्स आयात (6क)
क्या ई-कॉमर्स का उपयोग करके आयात किया गया है (हां/नहीं)”;

(iii) प्रपत्र ज.क में, शीर्षक ख.1, और तत्संबंधी प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा : -

"ख.1

यदि तालिका ख में कॉलम (12) का उत्तर 'हां' है और निर्यात खेप में सीटीएच 7117 या 7113 के अंतर्गत आने वाले आभूषण हैं, तो निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत करें			
(i) ई-कॉमर्स ऑपरेटर या वेबसाइट का नाम	(ii) भुगतान/विशिष्ट लेनदेन आईडी	(iii) आदेश संख्या	(iv) आदेश तिथि".

[फा. सं. 455/03/2020-सीमाशुल्क V]

(कोमिला पुनिया)
उप सचिव

टिप्पणी :- मूल अधिसूचना संख्या 36/2010-सीमाशुल्क (गै.टे.), दिनांक 5 मई, 2010 जिसे सा.का.नि. 385(अ), दिनांक 5 मई , 2010 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) प्रकाशित किया गया था और इसमें अधिसूचना संख्या 57/2022-सीमाशुल्क (गै.टे.), दिनांक 30 जून 2022, जिसे सा.का.नि. 485 (अ), दिनांक 30 जून 2022 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3 में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा अंतिम बार संशोधित किया गया था।